sugar संख्या : File No : V2(ST) 9/RA/A-1//2016-17 / MS / Me aqtire आरंख संख्या Order-In-Appeal No. ALIM-SVTIX.000-APP-0287-16-17 feriño Date : <u>29.03.2011</u> আरी करने की तारीख Date of issue _ <u>7</u> / <u>4</u> / <u>1</u> / <u>4</u> / <u>1</u> / <u>4</u> / <u>1</u> / <u>4</u> / <u>1</u> / <u>5</u>	<u>रजिस्ट</u>	र <u>ई डाक ए.डी. द्वारा</u> आयुक्त (अपील - II) का कार्यालय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सैन्टल एक्साइज भवन, सातवीं मंजिल, पौलिटैक्नीक के पास, आंबावाडी, अहमदाबाद— 380015.	
श्री उमा शंकर, आयुरत (अपील-II) दास पारित Passed by Shri Uma Shanker Commissioner (Appeals-II) Image: The second secon	•	दिनाँक Date : 29.03.2017 जारी करने की तारीख Date of Issue	
 आयुक्त सेवाकर अष्ठमदाबाद : आयुक्तालय द्वारा जारी मूल आदेश सं [देनॉक : से सृजित Ansing out of Order-In-Original No. STOREET(43/HCVIORIDIV-IIII/15-16 Date : 15.02.2016 Issued by Assa Commr Div-III STC Abad, Service Tax, Ahmedebad Transferred to Tar. / Name & Address of the Respondent Mix. IQR Consulting Pvt Ltd Ahmedabad, Ahmedabad Stransferred to the appropriate and the service Tax Ahmedebad Tar and an area to the appropriate and the service Tax Ahmedebad Stransferred by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way :- Arrange, orang agreeved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way :- Arrange, orang agreeved the Finance Act 1994 an appeal lies to :- Iftan alaftrar, 1994 abi and as distric and and the ability and and the ability and and the ability and an appeal lies to :- Iftan alaftrar, 1994 ability agree, orange, neuron agrift agree, orange, orange, orange, orange, agree to diamon addition and the ability agree and an appeal lies to :- Iftan alaftrar, 1994 ability agree, orang agree to diamon a charder and and maxed- Index Ability and an appeal lies to :- Iftan alager, agree, orang agree to diamon addition and and appeal lies to :- Iftan alaftrar and agree, orange, New Mental Hospital Compound, Ahmedabad - 300 O16. Anticular anuality agree, orange, New Mental Hospital Compound, Ahmedabad - and a strate and strate and the data and and and an area addition data agree fragmed, the addite data addite addition and and a data data data data data dat		<u>श्री उमा शंकर</u> ,, आयुक्त (अपील-II) द्वारा पारित	
तिनौक : में पुणित Arising out of Order-In-Original No. STG/REF/143/HCV/IQROIDI-III/15-16 Date : 15.02.2018 Issued by Asst Commr Div-III STO Abad, Service Tax, Ahmedabad अतिवादी का जाम / Name & Address of the Respondent M/s. IQR Consulting Pvt Ltd Ahmedabad, Ahmedabad सा अपील आदेष से बाखुष्ट कोई भी व्यक्ति प्रवित्त प्रवित्त के बाखेल निम्निविधित प्रकार के पर सकता है- Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way :- सोना सुरक, उत्पाद सुरक एवं सेवाकर ऑसियि न्यायाधिकरण को अपील- Appeal To Customs Central Excise And Service Tax Appellate Tribunal :- तित्ती का अधिनियम, 1994 की घाय 86 के अंतर्गत वाणिल को मिन के पास की जा सकति- Under Section 86 of the Finance Act 1994 an appeal lies to :- परिश्वम क्षेत्रीय पीठ सीमा युख्क, उत्पाव सुरक एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण को .20, न्यू मेन्टल हासिपटल कम्पावण्ड, भेषानी नगर, अक्षवात्ता - ब्रिया सुरक, प्रदेश सुरक, प्रतिया सुरक, प्रतिया सुरक, प्रतिया निर्मात क्रिया पीठ सीमा युख्क, विधाय सुरक, प्रतिया सुरक, प्रतिया सुरक, प्रतिया सुरक, उदा सुरक, उदा सुरक, उदा सुरक, प्रतिया मे की पा सकति- Under Section 86 of the Finance Act 1994 an appeal lies to :- परिवत्त की सीमा युख्क, उत्पाय सुरक, प्रतिया सुरक, प्रतिया स्वाधिकरण को .20, न्यू मेन्टल हासिपटल कम्पावण्ड, भेषानी ने न्यायाधिकरण वा वितीय अधिनियम, 1994 की घाय 86 (1) के अंतर्गत अपील सेवाकर नियमावती, 1994 के तिया ने (1) के अंतर्गत निधारित फाने प्रतिय: - ६ में चार प्रतियों के प्रेता कों की जा चलेगी प्रते विध्व हों को और राधव मे किस के विधाक त्राव के झाप रे खाई सेवाकर की मांग, व्यात की मांग खार को मांग आंद तावाय प्राय क्रिक्व अपील की गर्च से जावक होगी। जाने चाहिए (जनमें के प्रताल में मेंगी) को ताव्या के सावा प्रया के त्र खाहिकर का पाव वार्च प्रति विधाति हु खाई सेवाकर की मांग, व्यात की मांग और तावाय पार क्राव या sourd के झाप के खाई सेवाकर की मांग, व्यात की मांग कोर तावाय पार खुर्मा करार 5 ल		Passed by Shri Uma Shanker Commissioner (Appeals-II)	
 Issued by Asst Comm Div-III STC Abad, Service Tax, Ahmedabad মুনিবারী का नाम, / Name & Address of the Respondent M/s. IQR Consulting Pvt Ltd Ahmedabad, Ahmedabad इस जमीस जावेश से असंघुष्ट कोई भी व्यक्ति चरित प्राक्रिकों को अभील निम्नसिश्चित प्रकार से कर सकता है- Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way :- ग्रीम सुरक, उत्पाद सुरक एवं सेवाकर अभीलीय न्यायाधिकरण को अभिल- Appeal To Customs Central Excise And Service Tax Appellate Tribunal :- वित्तीय जीवनियम, 1994 की धारा as के अंतर्गत अभील को निम के पास की जा सकती- Under Section 86 of the Finance Act 1994 an appeal lies to :- ग्रीसव क्षेत्रीय पीठ सीमा युक्क, उत्पाद सुरक एवं सेवाकर अभीलीय न्यायाधिकरण ओ. 20, म्यू भेटल हासिपटल कम्पाउण्ड, नेवाणी नगर, अष्ठमवावास-380016 ग्रीसव क्षेत्रीय पीठ सीमा युक्क, उत्पाद सुरक एवं सेवाकर अभीलीय न्यायाधिकरण ओ. 20, म्यू भेटल हासिपटल कम्पाउण्ड, 380 016. जीसतीय न्यायाधिकरण को वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 86 (1) के अंतर्गत अपील सेवाकर निक्वमायि (ESTAT) at 0-20, Meghani Nagar, New Mental Hospital Compound, Ahmedabad - 380 016. जीसतीय न्यायाधिकरण को वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 86 (1) के अंतर्गत कारी होगी आंख मा 4 किं के तियान 9 (1) के अंतर्गत निर्वासिए फार्म एस.21- 5 में चार प्रतियों में जी जानी स्वार्थ के साध फिर्फ आरे का सं कार्य के साथ कि का के के प्र राख से के नी नी चाहिए (उनमें से एक मागीक प्रति होगी) और साध में किं कार्य का के तो के प्रार 9000/- भीस भेलनी चोगी। जाई सेवाकर की मांग, आंत लगागा पांग कार्या के ता का के के पर 900/- भीम भेलनी चोगी। जाई संवाकर की मांग, आंत लगागा का वा जी को साध में किं कार ई कार्पत का प्रद के प्रकार के जीनी होगी। जाई सेवाकर की मांग, आंत लगागा का वा जी सो और साध में किं कार के के से कार का प्रतार 900/- भीस भेलनी चोगी। जाई संवाकर की मांग, आंत लगागा प्राय जानी के के हा के पर 900/- भीम भेलानी होगी। जाई संवाकर के साध्य 900 की साथ कर सावका के साध अरि कार्य 1945 के कार खा का ठ ताख सक ठी तो रुपए 900/- भी के भी मी जी सार्ग कार	ग	आयुक्त सेवाकर अहमदाबाद : आयुक्तालय द्वारा जारी मूल आदेश स दिनॉंक : से सृजित	
 M/s. IQR Consulting Pvt Ltd Ahmedabad, Anmedabau इस अमील वादेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति उधित प्राधिकारी को अपील निम्नलिखित प्रकार से कर सकता है– Any person aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal to the appropriate authority in the following way :- गौमा शुरुक, उत्पाद शुरुक एवं सेवाकर अमीतीय न्यायाधिकरण को अपील- Appeal To Customs Central Excise And Service Tax Appellate Tribunal :- किसीय अधिनियम, 1944 की धाय 86 के अंतर्गत अपील को निम्न के पास की जा सकती- Under Section 86 of the Finance Act 1994 an appeal lies to :- गमिवम केनीय पीठ सीमा शुरुक, उत्पाद शुरुक एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण ओ. 20, न्यू भेचल डासियटल कम्पाउण्ड, नेवाजे नार, असनवाबाद-20016 गिकम केनीय पीठ सीमा शुरुक, उत्पाद शुरुक एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण ओ. 20, न्यू भेचल डासियटल कम्पाउण्ड, वेषाजे नार, असनवाबाद-20016 गिकम केनीय पीठ सीमा शुरुक, उत्पाद शुरुक एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण ओ. 20, न्यू भेचल डासियटल कम्पाउण्ड, (CESTAT) at O-20, Meghani Nagar, New Mental Hospital Compound, Ahmedabad - 380 016. जारीतीय न्यायाधिकरण को वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 86 (1) के अंतर्गत अपील सेवाकर नियमावर्स), 1984 के निवस 9 (1) के अंतर्गत निर्वाधित फार्म एसटी– 5 में चार प्रतियों में की जा सफनी पर्य उसका नियमा रिपा आरंश के नाय याधीकि के यह थे छो सार्वा से भोजा ना चाछिए (उनने से प्राया या घुरांना क्राए 5 काल्य या उससं कार्य अपील की गई हो जरकती प्रतियों भेजी जानी चाछिए (उनने से प्राया वा घ्रार काल्य या उपसं कार 1000/– फीस सेचनी होगी। जहां सेवाकर की मांग, व्याय की मांग और लगावा गया घुरांना काए 5 कम हे वहां रूपए 1000/– फीस सेचनी होगी। जहां सेवाकर की मांग, व्याय के मांग और लगावा गया घुरांना काए 5 कम हे वहां रूपए 1000/– फीस सेचनी होगी। जहां सेवाकर की मांग, खाल की मांग, और लगावा गया घुरांना रूपर 5 कम हे वहां रूपर 1000/– फीस सेचनी होगी। जहां सेवाकर की मांग, खाल की मांग और लगावा गया घुरांना रूपर 5 कम हे वहां रूपर 1000/– फीस सेचनी होगी। जहां सेवाकर की मांग, खाल की मांग और लगावा गया घुरांना रूपर 5 कम हे वहां रूपर 6000/– फीस सेचनी होगी। जहां सेवाकर की मांग, खाल की मांग और लगावा गया घुरार स		Issued by Asst Commr Div-III STC Abad, Service Tax, Ahmedabad	
Any person aggrieved by this Order-In-Appear into the an appear to the error authority in the following way :- tiltra signa, scale ages to distance authelia utalification of the state of	ध	<u> प्रतिवादी का नाम / Name & Address of the Respondent</u> M/s. IQR Consulting Pvt Ltd Ahmedabad, Ahmedabad	
 Appeal To Customs Central Excise And Service Tax Appended Theorem. Appeal To Customs Central Excise And Service Tax Appended Theorem. Appeal To Customs Central Excise And Service Tax Appended Theorem. Appeal To Customs 6 of the Finance Act 1994 an appeal lies to :- Under Section 86 of the Finance Act 1994 an appeal lies to :- Utata shala the time appear of the time of time of the time of time of the time of the time of time of time of the time of time of time of time of the time of the time of time of time of the time of time of the time of the time of time of the ti	Any person aggrieved by this Order-In-Appear may me an appear to the appear		
 वित्तीय अधिनियम,1994 की घारा 88 के अंतर्गत अपील को निम्न के पास की जा सकती!- Under Section 86 of the Finance Act 1994 an appeal lies to :- परिवम क्षेत्रीय पीठ सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण ओ. 20, न्यू पैन्टस हास्पिटल कम्पाउण्ड, नेवाणी नापर, अहमदाबाद-380016 The West Regional Bench of Customs, Excise, Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, Meghani Nagar, New Mental Hospital Compound, Ahmedabad - 380 016. (ii) अपीलीय न्यायाधिकरण को वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 86 (1) के अंतर्गत अपील सेवाकर नियमावली, 1994 के लियम 9 (1) के अंतर्गत निर्वासित जार्म एस:2)- 5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो उसकी प्रतियों भेजी जानी चाहिए (उनमें से एक प्रमाणित प्रति होगी) और साथ में जिस विरुद्ध अपील की गई हो उसकी प्रतियों भेजी जानी चाहिए (उनमें से एक प्रमाणित प्रति होगी) और साथ में जिस विरुद्ध के आप की हो हो उसकी मात्र या की मांग, व्याज की मांग ओर लगावा गया जुर्माना रूपर 5 लाख या उससे से ख्वाकित बेंक इप्राप्ट के रूप में जई सेवाकर की मांग, व्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपर 50 लाख या उससे क्यावा है वहां के नामित सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के न्यायपीठ रूपर 5 लाख या उससे से खाहिक बेंक इप्राप्ट के रूप में जाई सेवाकर की मांग, व्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपर 500 लाख या उससे च्यावा है वहां रूप 10000/- फीस भेजनी होगी। रहे के लिए आवेदन- पत्र के साथ रूपर 500/- फीस भेजनी होगी। (ii) The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act 1994 to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules 1994 and Shall be accompanied by a copy of the service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than five lakhs but not service tax & interest demanded & penalty levied is more than five Lakhs rupes, in the form of crossed bank d	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण को अपीलः– Appeal To Customs Central Excise And Service Tax Appellate Tribunal :-		
 भेषाणी मगर, अडमवाबाद-380016 The West Regional Bench of Customs, Excise, Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, Meghani Nagar, New Mental Hospital Compound, Ahmedabad – 380 016. (ii) अपीलीय न्यायाधिकरण को वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 86 (1) के अंतर्गत अपील सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 9 (1) के अंतर्गत निधारित फार्म एस.टी- 5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के नियम 9 (1) के अंतर्गत निधारित फार्म एस.टी- 5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के नियम 9 (1) के अंतर्गत निधारित फार्म एस.टी- 5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस आदेश के निरम्म 9 (1) के अंतर्गत निधारित फार्म एस.टी- 5 में चार प्रतियों में की जा सकेगी एवं उसके साथ जिस साथ में जिस विरक्ष और बैंक की नाम होगी 300 / 100 / फीस सेवाकर की गांग, याज की मांग और लगाया गया जुर्मना रूपर 6 लाख या उससे पर्यात में च्यायकि के सहायक रजिस्ट्रार के नाम स्थान में न्यायाधिकरण का न्यायपीठ स्थित है. वहां रूपा की गांग आर लगाया गया जुर्माना रूपर 5 लाख या उससे पर्यात है वहां रूपर 1000/ - फीस भेजनी होगी। जहां सेवाकर की मांग, व्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपर 5 जाख या उससे पं काई सेवाकर की गांग, याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपर 500 (1) जी अपर 5000 / फीस भेजनी होगी। जहां सेवाकर की गांग, व्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपर 500 (1) जि स्था में जगता होगी। जहां सेवाकर की मांग, व्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपर 500 / फीस भेजनी होगी। (ii) The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act 1994 to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules 1994 and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax &	Under Section 86 of the Finance Act 1994 an appear not to the		
 के नियम 9 (1) के अंतर्गता निधारित फीम (२५.८) 5 भ पार, आल. भारत के एक प्रमाणित प्रति होगी) और साथ में जिस यिक्तद्ध अपील की गई हो उसकी प्रतियाँ भेजी जानी चाहिए (उनमें से एक प्रमाणित प्रति होगी) और साथ में जिस रिवार में न्यायाधिकरण का न्यायपी0 रिखा है, वहाँ के नामत सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के न्यायपीठ के सहायक रजिस्ट्रार के नाम स्थान में न्यायाधिकरण का न्यायपी0 रिखा है, वहाँ के नामति सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के न्यायपीठ रिखा रजिस से जहाँ सेवाकर की मांग, व्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे से खाई सेवाकर की मांग, व्याज की मांग, व्याज की मांग आर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उस के जजर हो तो रूपए 5000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ सेवाकर की मांग, व्याज की मांग आज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ सेवाकर की मांग, व्याज की मांग, व्याज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उस से जजादा है वहां रूपए 1000/- फीस भेजनी होगी। जहाँ सेवाकर की मांग, व्याज की मांग आज की मांग और लगाया गया जुर्माना रूपए 500/- फीस भेजनी होगी। (ii) The appeal under sub section (1) of Section 86 of the Finance Act 1994 to the Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in Form S.T.5 as prescribed under Rule 9(1) of the Service Tax Rules 1994 and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/ 	मेधाणी नगर, अहमदाबाद–380016 The West Regional Bench of Customs, Excise, Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, Meghani Nagar, New Mental Hospital Compound, Ahmedabad –		
Appellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in terms and the second panied by a copy of the Rule 9(1) of the Service Tax Rules 1994 and Shall be accompanied by a copy of the order appealed against (one of which shall be certified copy) and should be accompanied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is is more than five lakhs but not exceeding Rs. Fifty Lakhs, Rs.10,000/- where the amount of service tax & interest demanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed bank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public Sector Bank of the place where the bench of Tribunal is situated. Application made for grant of stay shall be accompanied by a fee of Rs.500/	विक्त स्थान से रे कम लाख	नेयम 9 (1) के अंतर्गत निधारित फॉम ऐस.टा– 5 ने पाए प्रोतंचा ''एक प्रमाणित प्रति होगी) और साथ में जिस द्ध अपील की गई हो उसकी प्रतियाँ भेजी जानी चाहिए (उनमें से एक प्रमाणित प्रति होगी) और साथ में जिस त्म में न्यायाधिकरण का न्यायपीठ स्थित है, वहाँ के नामित सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के न्यायपीठ के सहायक रजिस्ट्रार के नाम रखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में जहाँ सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे है वहां रूपए 1000/– फीस भेजनी होगी। जहाँ सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 है वहां रूपए 1000/– फीस भेजनी होगी। जहाँ सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 द्व या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/– फीस भेजनी होगी। जहाँ सेवाकर की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया व या 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/– फीस भेजनी होगी। स्टे के लिऐ आवेदन– पत्र के साथ र 500/– फीस भेजनी होगी।	
	Ru or ac de se ex de ba	opellate Tribunal Shall be filed in quadruplicate in retrieve accompanied by a copy of the ule 9(1) of the Service Tax Rules 1994 and Shall be accompanied by a copy of the der appealed against (one of which shall be certified copy) and should be companied by a fees of Rs. 1000/- where the amount of service tax & interest emanded & penalty levied of Rs. 5 Lakhs or less, Rs.5000/- where the amount of ervice tax & interest demanded & penalty levied is is more than five lakhs but not ervice tax & interest demanded & penalty levied is is more than five lakhs but not ervice tax & interest demanded & penalty levied is is more than five lakhs but not ervice tax & interest demanded & penalty levied is is more the amount of service tax & interest emanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed emanded & penalty levied is more than fifty Lakhs rupees, in the form of crossed ank draft in favour of the Assistant Registrar of the bench of nominated Public ank draft in favour of the pench of Tribunal is situated. Application made	

.

(iii) वित्तीय अधिनियम,1994 की धारा 86 की उप—धाराओं एवं (2ए) के अंतर्गत अपील सेवाकर नियमावली, 1994 के नियम 9 (2ए) के अंतर्गत निर्धारित फार्भ एस.टी.-7 में की जा सकेगी एवं उसके साथ आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) के आदेश की प्रतियाँ (OIA)(उसमें से प्रमाणित प्रति होगी) और अपर आयुक्त, सहायक / उप आयुक्त अथवा A219k केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अपीलीय न्यायाधिकरण को आवेदन करने के निदेश देते हुए आदेश (OIO) की प्रति भेजनी होगी।

(iii) The appeal under sub section (2A) of the section 86 the Finance Act 1994, shall be filed in Form ST-7 as prescribed under Rule 9 (2A) of the Service Tax Rules, 1994 and shall be accompanied by a copy of order of Commissioner Central Excise (Appeals)(OIA)(one of which shall be a certified copy) and copy of the order passed by the Addl. / Joint or Dy. /Asstt. Commissioner or Superintendent of Central Excise & Service Tax (OIO) to apply to the Appellate Tribunal.

2. यथासंशोधित न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1975 की शर्तो पर अनुसूची—1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार मूल आदेश एवं स्थगन प्राधिकारी के आदेश की प्रति पर रू 6.50/— पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

2. One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjudication authority shall bear a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under Schedule-I in terms of the Court Fee Act, 1975, as amended.

3. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली, 1982 में चर्चित एवं अन्य संबंधित मामलों को सम्मिलित करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।

3. Attention is also invited to the rules covering these and other related matters contained in the Customs, Excise and Service Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

4. सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय प्राधिकरण (सीस्तेत) के प्रति अपीलों के मामलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, १९४४ की धारा ३५फ के अंतर्गत वित्तीय(संख्या-२) अधिनियम २०१४(२०१४ की संख्या २५) दिलांक: ०६.०८.२०१४ जो की वित्तीय अधिनियम, १९९४ की धारा ८३ के अंतर्गत सेवाकर को भी लागू की गई है, द्वारा निश्चित की गई पूर्व-राशि जमा करना अनिवार्य है, बशर्ते कि इस धारा के अंतर्गत जमा की जाने वाली अपेक्षित देय राशि दस करोड़ रूपए से अधिक न हो

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर के अंतर्गत " मॉंग किए गए शुल्क " में निम्न शामिल है –

- (i) धारा 11 डी के अंतर्गत निर्धारित रकग
- (ii) सेनवेंट जमा की ली गई गलत राशि
- (iii) सेनवैट जमा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत देय रकम
- अगे बशर्ते यह कि इस धारा के प्रावधान वित्तीय (सं. 2) अधिनियम, 2014 के आरम्भ से पूर्व किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन स्थगन अर्ज़ी एवं अपील को लागू नहीं होगे।

4. For an appeal to be filed before the CESTAT, it is mandatory to pre-deposit an amount specified under the Finance (No. 2) Act, 2014 (No. 25 of 2014) dated 06.08.2014, under section 35F of the Central Excise Act, 1944 which is also made applicable to Service Tax under section 83 of the Finance Act, 1994 provided the amount of pre-deposit payable would be subject to ceiling of Rs. Ten Crores,

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenval Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.
- ➡ Provided further that the provisions of this Section shall not apply to the stay application and appeals pending before any appellate authority prior to the commencement of the Finance (No.2) Act, 2014.

4(1) इस संदर्भ में, इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो मॉंग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

4(1) In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute.



:: 2 ::

ORDER-IN-APPEAL

The Deputy Commissioner, Service Tax, Division-III, Ahmedabad (hereinafter referred to as '*the appellant*'), has filed the present appeal against the Order-In-Original number STC/Ref/143/HCV/IQR/Div-III/15-16 dated 15.02.2016 (hereinafter referred to as '*the impugned order*') passed in the matter of refund claim filed by M/s IQR Consulting Private Ltd, Ahmedabad (herein after referred to as '*the respondents*') by the Deputy Commissioners of Service Tax, Division-III, Ahmedabad (hereinafter referred to as '*the adjudicating authority*').

2. The fact of the case, in brief is, respondent is exporter and availing benefit of Notification No 27/2012-CE (NT) dated 18.06.2012 for refund of unutilized CENVAT Credit. The respondent had filed refund claim of ₹67,820/- along with required documents. The respondent was sanctioned the same vide the impugned order, by the adjudicating authority, as per the conditions laid down in the Notification number 27/2012-CE (NT) dated 18.06.2012.

3. The said impugned order was reviewed by the Principal Commissioner of Service Tax, Ahmedabad vide review order no 07/2015-16 dated 13.05.2016 for filling appeals under section 84(1) of the finance act 1994 on the ground that adjudicating authority has wrongly sanctioned the refund claim of ₹ 8,034/- out of the total refund sanctioned amount of ₹67,820/- on the ground that payment of the said invoice on which service tax credit availed by the exporter is not traceable.

4. Personal hearing in the matter was granted to the respondent on 13.01.2017 and 21.02.2017, it was attended by their authorized representative. The authorized signatory submitted that they will comply the query regarding payment not traceable within two days. The reply of the respondent was received in this office on 01.03.2017.

5. I have carefully gone through the facts of the case on records, grounds of the appeal, and written submission put forth by the respondent. Looking to the facts of the case, I proceed to decide the case on merits.

6. In the present case, I find that the respondent has filed a refund claim of ₹ 67,820/- which was sanctioned under Notification No 27/2012-ST dated 29.06.2012. The appellant has proposed to be deny the refund of ₹8,034/- on the ground that payment of the said invoice is not traceable.

The respondent vide letter dated 01.03.2017 submitted the invoice of M/s Bharti Airtel Ltd bearing invoice no 73027472 dated 20.09.2014 involving service tax of Rs 8034. They also submitted the Bank Statement for the period showing payment of said invoice. On going through the Bank Statement and the invoice it is observed that payment of the said invoice is traceable. Therefore allegation of the department is not sustainable.



Thus, in view of discussion in paragraph 6 above and in the fitness of 7. things, it would be just and proper to reject the appeal filed by the revenue.

4

अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपीलो का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है। 8. The appeals filed by the appellant stand disposed off in above terms. 8.

32-112:00

(उमा शंकर) आयुक्त (अपील्स - II) CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD.

ATTESTED

(S S Chowhan)

SUPERINTENDENT (APPEAL-II), CENTRAL EXCISE, AHMEDABAD.

Τo, M/s IQR Consulting Private Ltd, Shitalbaug Society, 8-A, Nr Sonal Hospital, Paldi, Ahmedabad.

Copy To:-

- The Chief Commissioner, Central Excise, Ahmedabad zone, Ahmedabad.
 The Commissioner, Service Tax, Ahmedabad.
- 3. The Dy./Assistant Commissioner, Service Tax, Division-III, Ahmedabad.
- 4. The Assistant Commissioner(Systems), Service Tax,, Ahmedabad

5. Guard File.

6. P.A. File.

